

31-5-19

पत्रावली पेश हुई, तकीब वाहीगन उपस्थित,
तकीब वाहीगन ने बताया कि उक्त प्रकरण की
आराजियात सम्बन्धी एक वाद पत्र सिविल
न्यायालय भाउलत में विचारधिन है और
जिसमें श्रीमान् सिविल न्यायालय द्वारा वादपत्र
के निस्तारण तक मीठे धर बिकार्ड की उपस्थिति
के आदेश दिये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में
यह वाद पत्र इसी स्टेज पर स्वारिज फरमाया जाय
मैंने पत्रावली में संलग्न श्रीमान् सिविल न्यायालय
द्वारा दिये गये आदेश का अवलोकन किया।
अतः ऐसी स्थिति में यह वाद पत्र इसी स्टेज
पर स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
भंडल जिला बीलवाड़ा